



परमाणु क्षतिके लिये नागरिक दायतित्व अधनियिम 2010

प्रलिमिस् के लयि:


पूरक मुआवज़े पर अभसिमय (Convention on Supplementary Compensation- CSC), परमाणु क्षतिके लयि नागरिक दायतित्व अधनियिम, 2010, [नयुकलयिर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया \(NPCIL\)](#)

मेन्स के लयि:


असैनिकि परमाणु दायतित्व कानून: प्रावधान और चुनौतियौं

चर्चा में क्यौं?

वर्तमान में [महाराष्टर के जैतापुर में छह परमाणु ऊर्जा ररिक्टर](#) बनाने की योजना, जो कविश्व की सबसे बड़ी वचाराधीन परमाणु ऊर्जा उत्पादन साइट है, भारत के परमाणु दायतित्व कानून से संबंघति मुद्दों के कारण एक दशक से अधिकि समय से वलिंबति है ।



Operational Nuclear Power Plants in India



FACTS

- Presently, India has 22 nuclear power reactors operating in 6 states, with an installed capacity of 6780 MegaWatt electric (MWe).
- Activities concerning the establishment and utilization of nuclear facilities and use of radioactive sources are carried out in India in accordance with the Atomic Energy Act, 1962.
- Atomic Energy Regulatory Board (AERB) regulates nuclear & radiation facilities and activities.
- **Newest & Largest Nuclear Power Plant:** Kudankulam Power Plant, Tamil Nadu.
- **First & Oldest Nuclear Power Plant:** Tarapur Power Plant, Maharashtra.



असैन्य परमाणु दायित्व पर कानून:

परिचय:

- असैन्य परमाणु दायित्व पर कानून यह सुनिश्चित करता है कि परमाणु घटना या आपदा के कारण पीड़ितों को हुई क्षति के लिये मुआवज़ा उपलब्ध कराया जाए और यह भी निर्धारित करता है कि उस क्षति के लिये कौन उत्तरदायी होगा।

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन:

- परमाणु क्षति हेतु **IAEA** नागरिक दायित्व पर कई अंतरराष्ट्रीय कानूनी उपकरणों के लिये डिपॉज़िटरी के रूप में कार्य करता है। इनमें परमाणु क्षति के लिये नागरिक दायित्व पर वयिना अभिसमय और परमाणु क्षति के लिये पूरक मुआवज़े पर अभिसमय शामिल हैं।
- न्यूनतम राष्ट्रीय मुआवज़ा राशि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 1997 में पूरक मुआवज़ा पर व्यापक अभिसमय (CSC) को अपनाया गया था।

- भारत ने वर्ष 2016 में CSC की पुष्टि की है।

परमाणु क्षति के लिये नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 (India's Civil Liability for Nuclear Damage Act- CLNDA):

उद्देश्य:

- भारत ने वर्ष 2010 में परमाणु दुर्घटना के पीड़ितों हेतु एक त्वरित मुआवज़ा तंत्र स्थापित करने के लिये CLNDA को अधिनियमित किया था।

◦ संचालकों पर देयता:

- CLNDA के अनुसार, परमाणु संयंत्र के संचालक सख्त और बर्ना कसिी गलती के दायतित्व के अधीन हैं, जसिका अर्थ है कविह कसिी भी लापरवाही एवं नुकसान हेतु उत्तरदायी हैं।
- यह नरिदषिट करता है कडिुरघटना के कारण हुए नुकसान के मामले मेंसंचालकों को 1,500 करोड रुपए की राशिका भुगतान करना होगा।

◦ इसके लयि संचालकों को बीमा या अन्य वतित्तीय सुरक्षा के माध्यम से देयता को कवर करने की भी आवश्यकता होती है।

◦ सरकार की भूमिका:

- CLNDA अपेक्षा करता है कयिद नुकसान का दावा 1,500 करोड रुपए से अधिक है तो सरकार हस्तक्षेप करेगी।
- इसने सरकारी देयता राशिको रुपए में 300 मलयिन वशिष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights- SDR) के बराबर तक सीमति कर दयिा है।
- **आपूरतकिर्रता देयता उपबंध:** यह ध्यान देने की बात है कयि **वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी** हेतु दोषपूरण पुरजे काफी हद तक ज़मिेदार थे, सरकार ने CLNDA में संचालकों की देयता के अलावा **आपूरतकिर्रता देयता** को शामिल करने के लयि CSC के प्रावधानों से परे जाकर देयता सुनशिचति की है।
- इस प्रावधान के तहत **यदि कोई परमाणु घटना दोषपूरण उपकरण अथवा सामग्री, खराब सेवाओं या आपूरतकिर्रता कर्मचारयिों के आचरण के** परिणामस्वरूप होती है, तो परमाणु संयंत्र का संचालक आपूरतकिर्रता से संपर्क कर उचति मदद की मांग कर सकता है।

नोट:

- CSC के अनुसार, "केवल" दो परिस्थितियिों में कसिी राष्ट्र का राष्ट्रीय कानून एक आपूरतकिर्रता को उत्तरदायी ठहराने के लयि संचालक को "मदद का अधिकार" प्रदान कर सकता है:
- अगर यह अनुबंध में वशिष रूप से वर्णति है।
- अगर परमाणु घटना "नुकसान पहुँचाने के इरादे से कयि गए कसिी कार्य अथवा चूक के परिणामस्वरूप होती है"।

परमाणु सौदों में आपूरतकिर्रता दायतित्व खंड:

- **वदिशी और घरेलू आपूरतकिर्रताओं के लयि बाधक:** यह देखते हुए कभिरत एकमात्र ऐसा देश है जसिके पास आपूरतकिर्रताओं से नुकसान की मांग की अनुमति देने वाला कानून है, परमाणु उपकरणों के घरेलू और वदिशी दोनों नरिमाता भारत के साथ परमाणु समझौते को लागू करने के लयि अनचिछुक रहे हैं।
- **आपूरतकिर्रताओं के लयि अधिक जोखमिपूरण:** आपूरतकिर्रताओं ने CLNDA के तहत संभावति रूप से असीमति देयता के संपर्क में आने के बारे में चति जताई है क्योकमुआवजे की राशिकानून के तहत तय नहीं है क्योकयिह ऑपरेटर के लयि तय की गई है।
- **चूकमुआवजे की राशिक आपूरतकिर्रताओं के लयि कानून द्वारा उस प्रकार नरिधारति नहीं है जैसा कसंचालकों के लयि नरिधारति है,** आपूरतकिर्रताओं ने CLNDA के तहत संभावति रूप से असीमति दायतित्वों को लेकर चति व्यक्त की है।
 - इसके अतरिकित उनहोंने इस अस्पष्टता को भी उजागर कयिा है ककिषताके मामले में मुआवजे हेतु कतिनी राशिको पृथक रखना है।
- **स्पष्टता की कमी में अन्य कानून शामिल हैं: 'परमाणु कषति' के प्रकारों पर एक व्यापक परिभाषा के अभाव में** अधनियम संभावति रूप से अन्य नागरिक कानूनों के माध्यम से ऑपरेटर और आपूरतकिर्रताओं के खलिाफ नागरिक देयता के दावों को लाने की अनुमति देता है।
- **आपराधिक देयता को आकर्षति करता है: अधनियम कसिी व्यक्त को इस अधनियम के अतरिकित कसिी अन्य कानून के तहत ऑपरेटर के खलिाफ कार्यवाही करने से नहीं रोकता है।** यह जहाँ भी लागू हो, ऑपरेटर और आपूरतकिर्रता के खलिाफ आपराधिक देयता का अनुसरण करने की अनुमति देता है।

CLNDA के साथ अन्य समस्याएँ :

- **मुआवजे पर मौद्रिक सीमा:** अधनियम एक नशिचति मौद्रिक सीमा तक देयता तय करता है(ऑपरेटरों के लयि 1,500 करोड रुपए और सरकार के लयि वशिष आहरण अधिकार के तहत 300 मलयिन रुपए)। इस तरह की सीमा के साथ सबसे बड़ी समस्या ऐसी स्थितियिों में पैदा होती है जब नुकसान सीमा से अधिक हो जाता है।
 - अधनियम स्पष्ट रूप से सीमा से अधिक नुकसान की लागत के संबंध में कोई प्रावधान प्रदान नहीं करता है।
- **करदाताओं पर बोझ: भारत में ये संयंत्र सरकार के स्वामतित्व वाले हैं और NPCIL के माध्यम से संचालति होते हैं।** अंततः ऐसी आपदाओं की कषतपूरत आम करदाताओं द्वारा वहन की जाएगी।
- **अतरिकित लागतों की उपेक्षा:** चेरनोबलि जैसी वगित घटनाओं से ज्ञात हुआ है कपिरमाणु घटना के लयि दोषी पक्ष को परमाणु अपशषिट की सफाई एवं सुरक्षति निपटान जैसी अतरिकित लागतें वहन करनी चाहयि, जो महँगी हैं तथा इसमें अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
 - हालाँकि अधनियम इन अतरिकित लागतों के लयि कोई प्रावधान नहीं करता है।

- **कोई वदेशी अधिकार क्षेत्र नहीं:** भारत कई वदेशी आपूर्तकिर्त्ताओं से आपूर्त करता है जो भारतीय कानून के अनुसार वदेशी संस्थाएँ हैं। भारतीय मुआवज़े की मांग के लिये वदेशी न्यायालय में नहीं जा सकते।

आगे की राह

- वदेशी आपूर्तकिर्त्ता से मुआवज़ा मांगे जाने की स्थिति में वदेशी न्यायालयों तक पहुँच प्राप्त करने के लिये अतिरिक्त प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के प्रावधान किये जाने चाहिये। अंतरराष्ट्रीय समझौते या एक मज़बूत विवाद समाधान तंत्र बनाया जा सकता है।
- आपूर्तकिर्त्ताओं को विश्वास में लेने हेतु उनकी देनदारी की सीमा भी सुनिश्चित होनी चाहिये तथा बीमा राशिकी भी अधिकतम सीमा निश्चित होनी चाहिये।
- अस्पष्टता के समाधान हेतु कानून में संशोधन किया जाना चाहिये और आपराधिक दायित्व के प्रावधानों को आसान बनाया जाना चाहिये या आपराधिक कार्यवाही के दायरे को स्पष्ट किया जाना चाहिये।
- **वैकल्पिक वित्तपोषण तंत्र का अन्वेषण** किया जाना चाहिये, जैसे कि बीमा या एक समर्पित नधि जो यह सुनिश्चित करे कि आर्थिक भार पूरी तरह से करदाताओं पर नहीं है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

??????:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर वचिर कीजिये: (2017)

1. संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में समय-समय पर परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं।
2. वखिंडनीय सामग्री पर अंतरराष्ट्रीय पैनल अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का एक अंग है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: d

प्रश्न. भारत में कर््यों कुछ परमाणु रफिक्टर "आई.ए.ई.ए सुरक्षा उपायों" के अधीन रखे जाते हैं, जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? (2020)

- (a) कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का।
- (b) कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्तिका।
- (c) कुछ वदेशी उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं और अन्य घरेलू उद्यमों द्वारा।
- (d) कुछ सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं और अन्य नजिी स्वामित्व वाले।

उत्तर: b

??????:

प्रश्न. बढती ऊर्जा की आवश्यकताओं को देखते हुए क्या भारत को अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का वसितार करते रहना चाहिये? परमाणु ऊर्जा से जुडे तथ्यों और आशंकाओं पर चर्चा कीजिये। (2018)

प्रश्न. भारत में परमाणु वजिज्ञान और प्रौद्योगिकी की वृद्धि एवं वकिस का वविरण दीजिये। भारत में फास्ट ब्रीडर रफिक्टर कार्यक्रम के क्या लाभ हैं? (2017)

स्रोत: द हट्टि

